



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-30082024-256763
CG-DL-E-30082024-256763

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3359]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 29, 2024/भाद्र 7, 1946

No. 3359]

NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 29, 2024/BHADRA 7, 1946

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 अगस्त, 2024

का.आ. 3688(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. **5242 तारीख 08/12/2023**, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा मध्य प्रदेश राज्य के ग्वालियर जिले में ग्रीनफील्ड हाइवे के **कि.मी. 88.200 से कि.मी. 88.427** (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व-ग्वालियर, जिला-ग्वालियर) तक के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चौड़ाकरने / चार लेन / 6-लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख **"19/12/2023"** को **"दैनिक भास्कर"** और **"टाइम्स ऑफ इंडिया"** दोनों में प्रकाशित किया गया था;

जबकि सक्षम प्राधिकारी को धारा 3-ग के तहत दायर आपत्ति प्राप्त हुई है, जिस पर विचार किया गया है और उसका उचित रूप से निपटान किया गया;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

मध्य प्रदेश राज्य के ग्वालियर जिले में ग्रीनफील्ड हाइवे के कि.मी. 88.200 से कि.मी. 88.427 (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व-ग्वालियर, जिला-ग्वालियर) तक के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण।

राज्य का नाम: मध्य प्रदेश			जिले का नाम: ग्वालियर		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/ हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: गिर्द					
गांव का नाम: सुसेरा					
1	903	निजी	सिंचित	0.008	जगदेवसिंह परमार पुत्र कपिलसिंह परमार, रामराज सिंह पुत्र बिंद्रावन सिंह कुशवाह 903/1
2	990	निजी	सिंचित	0.1486	नवाव सिंह पुत्र भगवंत सिंह , नागेंद्र सिंह तोमर पुत्र शैलेन्द्र सिंह तोमर, लोकेन्द्र सिंह तोमर पुत्र शिव नारायण सिंह तोमर, जगदेव सिंह परमार पुत्र कपिल सिंह परमार, सुवालाल पुत्र भगवंत सिंह , सरदार सिंह पुत्र भगवंत सिंह , रमेश सिंह पुत्र भगवन्तसिंह, नरेश सिंह पुत्र भगवंत सिंह , मनोज पुत्र लक्ष्मन सिंह , छोटीबाई बेवा लक्ष्मन सिंह 990/1/2

3	991	निजी	सिंचित/ असिंचित	0.199	श्रीमती कमला देवी पत्नी श्रीनारायण शर्मा 991/1
4	991	निजी	सिंचित/ असिंचित	0.0285	जगदेवसिंह परमार पुत्र कपिलसिंह परमार 991/4
5	991	निजी	सिंचित/ असिंचित	0.5095	पहारसिंह पुत्र मानसिंह, रछिपालसिंह सिकरवार पुत्र रायसिंह सिकरवार, विष्णुपालसिंह पुत्र रामबाबू, मनीष गुर्जर पुत्र रामेश्वर गुर्जर , देवेंद्रसिंह गुर्जर पुत्र राणजीतसिंह गुर्जर , ऋषी खेमरिया पुत्र राजेंद्र खेमरिया 991/5
Total				0.8936	

[फा. सं. NHAI/PIU-GWL/Agra-Gwl-Section/2023-24/001/3D]

अभय जैन, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 29th August, 2024

S.O. 3688(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, **S.O. 5242(E) Dated: 08/12/2023**, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intension to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four-laning/six-laning, etc.), maintenance, management and operation of **Greenfield Highway** in the stretch of land from **Km. 88.200 to Km. 88.427** (office of the Sub Divisional officer Revenue, Gwalior, district Gwalior) in the District of GWALIOR in the State of MADHYA PRADESH.

And whereas the substance of the said notification has been published in “**Dainik Bhaskar**” and “**Times of India**” both dated **19/12/2023**; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas the Competent Authority has received objections filed under Section 3-C, considered and settled the same appropriately;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the Greenfield Highway in the stretch of land from Km. 88.200 to Km. 88.427 (office of the Sub Divisional officer Revenue, Gwalior, district Gwalior) in the District of GWALIOR in the State of MADHYA PRADESH

State: MADHYA PRADESH			District: GWALIOR		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Hectares)	Name of Land Owner/Interested Person
1	2	3	4	5	6
Taluk: Gird					
Village: Susera					
1	903	Private	Irrigated	0.008	Jagdev Singh Parmar son of Kapil Singh Parmar, Ramraj Singh son of Bindravan Singh Kushwaha 903/1
2	990	Private	Irrigated	0.1486	Nawav Singh son of Bhagwant Singh, Nagendra Singh Tomar son of Shailendra Singh Tomar, Lokendra Singh Tomar son of Shiv Narayan Singh Tomar, Jagdev Singh Parmar son of Kapil Singh Parmar, Suwalal son of Bhagwant Singh, Sardar Singh son of Bhagwant Singh, Ramesh Singh son of Bhagwant Singh,

					Naresh Singh son of Bhagwant Singh, Manoj son of Laxman Singh, Chhoti Bai Bewa Laxman Singh 990/1/2
3	991	Private	Irrigated/ Unirrigated	0.199	Smt. Kamla Devi wife of Shrinarayan Sharma 991/1
4	991	Private	Irrigated/ Unirrigated	0.0285	Jagdevsinh Parmar S/o Kapil Singh Parmar 991/4
5	991	Private	Irrigated/ Unirrigated	0.5095	Pahar Singh son of Man Singh, Rachhipal Singh Sikarwar son of Raisingh Sikarwar, Vishnupal Singh son of Rambabu, Manish Gurjar son of Rameshwar Gurjar, Devendrasingh Gurjar son of Ranjeet Singh Gurjar, Rishi Khemriya son of Rajendra Khemriya. 991/5
Total				0.8936	

[F. No. NHAI/PIU-GWL/Agra-Gwl-Section/2023-24/001/3D]

ABHAY JAIN, Director